

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट

प्रकरण : संख्या -

शीर्षक..... बनाम.....

| दिनांक | कार्यवाही प्रकरण |
|----------|---|
| 18.11.24 | पत्रांक पेश हुई अनधिकृतता उपखण्ड उपखण्ड वसुधायवादी देव कोस्ट पर उपखण्ड द्वारा जारी की वसुधायवादी भी गवाह उपखण्ड नहीं अनधिकृत उपखण्ड 200/रु कोस्ट पर दिया जाता है पत्रांक गवाह वसुधायवादी देव कि 02.12.24 की पेश की |
| | <p>वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थिति पीठासीन अधिकारी राज काज भुमज/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व आदेश की मासमा में दिनांक...25.02.25 को पेश हो।</p> |
| 25.02.25 | पत्रांक पेश हुई अनधिकृतता उपखण्ड उपखण्ड वसुधायवादी देव गवाह उपखण्ड नहीं पूर्व में कोस्ट पर उपखण्ड दिव्य जारी की वसुधायवादी भी गवाह पेश नहीं अनधिकृत उपखण्ड वसुधायवादी देव की साथ दिया गया है पत्रांक वसुधायवादी देव कि 07.04.25 की पेश की |
| 07.04.25 | पत्रांक पेश हुई अनधिकृतता उपखण्ड उपखण्ड वसुधायवादी देव गवाह उपखण्ड नहीं वसुधायवादी देव की साथ दिया गया है दिया गया था। अनधिकृतता की कोस्ट और उपखण्ड दिया गया है अनधिकृतता पेश पर वसुधायवादी उपखण्ड रु की |

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द जिला राजसमन्द
मुकदमा नम्बर 140/2014 अनवान

कार्यवाही विवरण

बनाम

दिनांक

हस्ताक्षर

22/4/25

पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रार्थी गण अनुपस्थित। वादी/प्रार्थी गण के अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी/प्रार्थी गण एवं उनके अधिवक्ता को रूक-रूक कर कई बार आवाजे दिलवाई गई, फिर भी न तो वादी/प्रार्थी गण न ही उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। न्यायालय समय समाप्त होने तक वादी/प्रार्थी गण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी/प्रार्थी गण का प्रतिवादी/विपक्षी गण से कोई समझौता हो गया है। जिससे वादी/प्रार्थी गण अब प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं अथवा वादी/प्रार्थी गण अपने वाद/प्रार्थना पत्र के प्रति गम्भीर नहीं है।

अतः वादी/प्रार्थी गण की ओर से प्रकरण में पैरवी हेतु किसी के भी उपस्थित नहीं होने से प्रकरण इसी स्तर पर अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी हो, बाद दाखिला बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(बृजेश कुमार R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमन्द